निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : अराज/सामान्य/08/48 दिनाँक : 21/1/09

निदेशक,
ईएसआई/भ्रमणशील चिकित्सा ईकाई/
पुर्नवास अनुसंधान केन्द्र, जयपुर।

समस्त संयुक्त निदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं,
जोन – राजस्थान।

समस्त अधीक्षक,
संलग्न चिकित्सालय समुह, राजस्थान

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।

समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।

प्रधानाचार्य, आरएफपीटीसी, जयपुर/अजमेर।

परिपत्र

निम्न हस्ताक्षरकर्ता के ध्यान में लाया गया हैं कि क्षेत्रीय कार्यालय/कार्यालयाध्यक्षों द्वारा अराजपत्रित सेवा संवर्ग के उन कर्मचारियों के मामले जिन्होने सेवा संवर्ग में 9, 18 एवं 27 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर लिया हैं एवं चयनित वेतनमान/एसीपी निदेशालय द्वारा स्वीकृत किया जाना हैं, अतर्कसंगत तरीके से भेजे जाते हैं। जिस कर्मी ने 9, 18 एवं 27 वर्ष का सेवाकाल पहले पूर्ण कर लिया हैं उसका पहले एवं एवं बाद में सेवाकाल पूर्ण करने वाले कर्मी का बाद में ईकजाई रूप से भेजा जाना चाहिये ताकि पारदर्शिता रहे एवं किसी कर्मचारी के साथ भेदभाव जैसी स्थिति दिखाई नही दें।

अतः समस्त क्षेत्रीय कार्यालयों/जिलाधिकारियों/कार्यालयाध्यक्षों को निर्देशित किया जाता हैं कि अराजपत्रित सेवा संवर्ग के कर्मचारियों के 9, 18 एव 27 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण करने पर निदेशालय स्तर से स्वीकृत किये जाने वाले चयनित वेतनमान/एसीपी मामले वरीयता के आधार पर इकजाई कर प्रत्येक माह की 7 तारीख को भिजवाते हुए यह प्रमाण पत्र भी अंकित करे कि भेजे गये प्रकरणों से पूर्व का कोई मामला लम्बित नही हैं।

जो कर्मी निकट भविष्य में सेवा निवृत होने जा रहे हैं अथवा सेवा निवृत हो चुके हैं अथवा जिन मामलों में विभिन्न निर्णयों के परिपेक्ष्य में चयनित वेतनमान/एसीपी स्वीकृत किया जाना हैं, उन मामालों को वरीयता देते हुए अलग–अलग से प्रकरण भिजवाये जा सकते हैं, जिससे पेंशन निस्तारण एवं निर्णयों के परिपेक्ष्य में विलम्ब नही हो।

कृपया आपके अधीनस्थ सभी अधिकारियों को अपने स्तर पर तद्नुसार कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान करें।

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर

क्रमांक : अराज/सामान्य/08/ दिनाँक :

प्रतिलिपी : कार्यालय अधीक्षक/प्रभारी .... अनुभाग निदेशालय को प्रेषित कर लेख हैं कि अनुभाग में कार्यरत समस्त डीलिंग क्लर्क को निर्देशित करें कि विभिन्न कार्यालयों से प्राप्त होने वाले ऐसे मामले प्रत्येक माह की 16 तारीख को एक साथ स्वीकृति या अन्य जो आदेश अपेक्षित हो, के लिए प्रस्तुत करें ताकि सभी मामलों में एक साथ निर्णय हो सकें।

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर